न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
172/2025	20.11.2025	20.02.2026

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

मोडूलाल पुत्र केशरा जाति मेघवाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री हरिशंकर मेघवाल डवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 486 खसरा नं0 2682 रकबा 0.63 है0 खसरा नं0 2692 रकबा 0.48 है0 कुल 2 किता की रकबा 1. 11 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी की जाति बलाई दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 संलग्न है। यह कि वादी की जाति मेघवाल है। का नाम नामा0 दर्ज करते समय सहवन से वादी की जाति बलाई दर्ज कर दी गई है। जब कि वादी की वास्तविक जाति मेघवाल है। वादी को मोडूलाल जाति मेघवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा समस्त दस्तावेजो में भी वादी की जाति मेघवाल है। वादी की जाति जमाबन्दी में जगत रूप से बलाई दर्ज होने पर जिससे वादी को सरकारी योजनाओ में लाभ लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादी की जाति अकंतालिका व सर्वीस डायरी में वादी की जाति मेघवाल दर्ज है वादी की जाति ग्राम दीगोद की जमाबन्दी में जाति बलाई दर्ज होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमी सुधार के लिये किसान क्रेडिड कार्ड लेने सें वचिंत हो रहा है वादी को दस्तावेजो के आधार पर अपनी जाति नाम दुरूस्त कराने का कानून अधिकार है इस लिये वादी की जाति नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय प्रपत्र द्वारा भी राजि सुधार किये जाने के आदेश पारित किया हुआ है जिस कारण भी वादी अपने उक्त खातेदारी आराजी में अंकित जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति मेघवाल के स्थान पर बलाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति नाम बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 27–10–2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड मे वादी की जाति नाम दुरूस्त नही करने पर वाद कारण पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे बाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। यह कि उपरोक्त मामला अर्जन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलिफ से सम्बन्धित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नही दिया गया है। वाद पत्र के साथ नोटिस पेष किया गया। यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त होने के कारण वादग्रस्त भूमी माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे स्थित है और वाद उचित न्याय पुल्क पर अवधि मध्य पेष है। अतः– वाद पत्र पेष कर निवेदन है कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी खातें में खाता संख्या 486 खसरा न0 2682 रकबा 0.63 है0 खसरा न0 2692 रकबा 0.48 है0 भूमी स्थित चली आ रही है। जिसमे वादी की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने और राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद सम्वत 2071–2074

2– फोटो प्रति आधार कार्ड

3– फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स

4– फोटो प्रति राज्य सरकार कर्मचारी आईडी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलद दीगोद में अपने जवाब में वादी की जाति वास्तविक में मेघवाल होना बताया। जवाब सरकार वाद अनुरूप होने से तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधि0 ने वादी साक्ष्य में PW-1 राधेश्याम आत्मज रत्तीराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 486 खसरा नं0 2682 रकबा 0.63 है0 खसरा नं0 2692 रकबा 0.48 है0 कुल 2 किता की रकबा 1.11 है0 भूमि में खातेदार का नाम वादी की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी –श्री दीपक महावर(आर.ए.एस.)

उनवान

मोडूलाल पुत्र केशरा जाति मेघवाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री हरिशंकर मेघवाल डवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर 172 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 486 खसरा नं0 2682 रकबा 0.63 है0 खसरा नं0 2692 रकबा 0.48 है0 कुल 2 किता की रकबा 1.11 है0 भूमि में खातेदार का नाम वादी की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner